

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 168/2014

निर्णय दिनांक :- 14.10.15

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उनवान

1. गंगाराम पुत्र पॉचूराम (मृतक दौराने दावा)

1/1 गोपी देवी पत्नी स्व0 गंगाराम

1/2 कैलाश पुत्र स्व0 गंगाराम

1/3 फैलीराम पुत्र स्व0 गंगाराम

1/4 कानी पुत्री स्व0 गंगाराम

1/5 गोपाली पुत्री स्व0 गंगाराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू
जिला जयपुर राजस्थान।

2. भगवान सहाय पुत्र पॉचूराम (मृतक दौराने दावा)

2/1 जगदीश पुत्र स्व0 भगवान सहाय

2/2 गोपाल पुत्र स्व0 भगवान सहाय

2/3 बोदीलाल पुत्र स्व0 भगवान सहाय।

समस्त-जाति मीणा निवासी ग्राम शिवदासपुरा तहसील
चाकसू -जिला जयपुर राजस्थान

3. रामनाथ पुत्र पॉचूराम
4. छोटूराम पुत्र पॉचूराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम शिवदासपुरा
तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र स्व० गोपी
2. कालूराम पुत्र स्व० गोपी

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम शिवदासपुरा
तहसील चाकसू जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला
जयपुर।

—प्रतिवादीगण


वाद बाबत घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अधीन धारा 88,
53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत
किया गया कि वादग्रस्त आराजी जिसके ख० नं० 1553 रकबा 0.25
ख० नं० 1554 रकबा 0.28 ख० नं० 1555 रकबा 0.50 ख० नं०
1556 रकबा 0.22 कुल कित्ता 4 कुल क्षेत्रफल 1.25 है० जो वाके
ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
2 | Page

भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति जिसको की वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 2 के पिता जो कि वादीगण के भाई थे शामिल में ही आधे-आधे हिस्से पर काश्त करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात वर्तमान में संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 2 1/5, 1/5 हिस्से पर कांबिजा काश्त है तथा इसी अनुरूप मौखिक बटवारा कर अपने अपने हिस्से । 1/5, 1/5 पर काबिज काश्त है।

वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:-



सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता रव0 गोपी सगे भाई थे परिवार में बडा भाई होने के नाते

गोपी कर्ता खानदान था जिस कारण परिवार में कर्ता खानदान था और कर्ता खानदान होने की वजह से परिवार की ओर से सम्पूर्ण कार्य उनके द्वारा ही किये जाते थे। परिवार में कर्ता खानदान होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य उस पर विश्वास करते थे तथा संयुक्त परिवार में रहने के कारण परिवार के मुखिया होने के नाते संयुक्त परिवार से होने वाली आय गोपी के पास ही रहती थी और गोपी जी ही कर्ता खानदान होने के कारण संयुक्त परिवार की आय को संयुक्त परिवार की हैसियत से खर्च करते थे और वादग्रस्त आराजी भी संयुक्त परिवार की आय का ही हिस्सा है। चूकि वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण खर्चा संयुक्त परिवार की आय से किया गया था प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के पिता स्व० गोपी थे वादीगण के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीमगत कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया। उक्त किया गया अंकन वादीया के अधिकारों के गुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। जिससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हासिल नहीं होते। वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 अपने अपने हिस्से संयुक्त रूप से 1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे हैं वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में मनबट के आधार पर तकासमा वादीगण ने तारबन्दी करवा रखी है तथा मकानात भी बनवा रखे हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 अपने अपने 1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है। चूकि उक्त

उपखण्ड 4 | Page
चाकसु (जयपुर)

वादग्रस्त भूमि पर सभी भाईयों का हक व हिस्सा है परिवार में जब बटवारा नामा हुआ तो. प्रतिवादी सं 1 व 2 ने. एक लिखावट दिनांक 22/07/1997 को वादीगण के हक में लिखी जिसमें प्रतिवादी सं 1 ता 2 ने यह कथन कहे थे कि सभी भाईयो का उक्त भूमि पर बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्से पर कब्जा है प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने यह भी कहा कि चारों काका वादीगण चाहेगे तो हम प्रतिवादी सं० 1 ता 2 उक्त भूमि को नाम लगवा देंगे तथा उक्त भूमि के पाँच हिस्से करेंगे। इस प्रकार उक्त पारिवारिक सहमति इकरारनामा लिखावट वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के समक्ष गवाहों की मौजूदगी में उक्त लिखावट लिखी गई थी जिससे प्रतिवादी सं० 1 ता 2 एस्टोपल है और एस्टोपल का सिद्धान्त प्रतिवादी सं० 1 व 2 पर लागू होता है। इस प्रकार वादीगण उक्त बादग्रस्त भूमि पर अपना हक व हिस्सा रखते हैं। जिसके संबंध में प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने उक्त लिखावट के जरिये अपनी सहमति दी थी परन्तु चुकि अब जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी सं० 1 ता 2 वादीगण को हक व हिस्सा नहीं दे रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करना चाह रहे हैं। जिस कारण वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त बाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की नियत में खोट आ जाने के कारण वे वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण को बेचान करने पर उतारू है और इसी क्रम में कुछ भू-माफिया लोग दिनांक 06/06/2014 को वादग्रस्त आराजी पर आये और वादग्रस्त आराजी को क़य करने की बात की तथा

उपरिष्ठ अधिकारी
5 | Page
चाकसू (जयपुर)

वादीगण को धमकी दी कि वे जबर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करेंगे। जिस कारण वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के संयुक्त परिवार की आय का हिस्सा है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने पारिवारिक लिखावट दिनांक 22/06/96 की तारीख में वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकार्ड में के 1/5 हिस्से बाबत इन्द्राज नहीं करवाया इस कारण उक्त लिखावट की तारीख एवं वादीगण के हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से का ही खातेदार माना जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी वादीगण के 1/5 हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से का बेचान किसी दीगर व्यक्ति को नहीं करें। बनाया गया है। जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति होने एवं वादग्रस्त आराजी की प्रकृति कृषि भूमि होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। इस कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वाद पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 व 2



इस कदर डिकी किया जावे कि बादग्रस्त आराजी वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्से का ही खातेदार माना जाकर राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरस्त किया जावे तथा विधिवत तकासमा किया जावे । प्रतिवादी सं० 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी वादीगण के 1/5 हिस्से के कब्जे काशत एवं शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में उत्पन्न नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से का बेचानं, रहन, बय, किसी दीगर व्यक्ति को नहीं करें।

दावा वादीगण के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी तो प्रतिवादीगण की ओर वकील हाजीर आया व दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि :-

वाद पत्र का पैरा नं. 1 में ख. न. 1553, 1554, 1555 तथा खसरा न. 1556 ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में स्थित होना स्वीकार है लेकिन उक्त ख. न. की भूमि किसी भी कारण और आधार पर वादग्रस्त नहीं है। वादीगण ने स्वेच्छा से ही उक्त भूमि को वादग्रस्त अभिलिखित किया है। वादीगण अपने प्रस्तुत कथनों को श्स्वयं साबित करें। यहाँ यह लेख करना भी प्रासांगिक है कि उक्त भूमि का वादग्रस्त होने का कोई भी दस्तावेजात वादी द्वारा न


उपखण्ड अधिकारी
71 Page



तो पत्रावली में पेश किया है और जो तथाकथित दस्तावेजात पत्रावली में पेश किये गये हैं फोटोकॉपी दस्तावेज हैं चूंकी फोटो कॉपी दस्तावेजात न तो साक्ष्य मे ग्राह्य है और न ही पढने योग्य है। अतः वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा संख्या 2 सपूर्णरूप से सारहीन, गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादी प्रस्तुत मद मे लिखे अपने कथनो को स्वयं साबित करें। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा 3 स्वीकार हैं। वादपत्र पैरा 4 मे केवल मिन प्रतिवादीगण के पिता स्व.गोपी वादीगण के सगे भाई होना स्वीकार हैं। वादी प्रस्तुत मद मे लिखे अपने कथनों को स्वयं साबित करें। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा संख्या 5 सपूर्णरूप से सारहीन, गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादी प्रस्तुत मद-मे लिखे अपने कथनों ,को स्वयं साबित करें। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा संख्या 6 सपूर्णरूप से सारहीन, गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादी प्रस्तुत, मद मे लिखे अपने कथनों को स्वयं साबित करें। वादी ने जिस तथाकथित बंटवारा नामा अथवा लिखावट दिनांक 22/7/97 का जिक्र इस पैरा में किया गया है वह दस्तावेजात न तो अदालतहाजा की पत्रावली में पेश किया गया है और जो तथाकथित दस्तावेज पत्रावली में पेश किया गया है वह फोटो प्रति है जो अपंजीकृत है जिसका आज्ञात्मकरूप से पंजीकृत होना

आवश्यक है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश किये गये फोटो प्रति दस्तावेजात न तो साक्ष्य मे ग्राह्य है और न ही पढने योग्य है। असल दस्तावेजात प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक है। असल दस्तावेजात के अभाव में वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा संख्या 7 सपूर्णरूप से सारहीन, गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादी प्रस्तुत मद मे लिखे अपने कथनो को स्वयं साबित करें। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र का पैरा संख्या 8 सपूर्णरूप से सारहीन, गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। वादी प्रस्तुत मद मे लिखे अपने कथनो को स्वयं साबित करें। वादीगण ने प्रतिवादी सं 1 व 2 के द्वारा तथाकथित पारिवारिक लिखावट दिनांक 22/6/96 का जिक्र किया हैं जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में पेश की गई हैं। जो अपंजीकृत है जिसका आज्ञात्मकरूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश किये गये फोटो प्रति दस्तावेजात न तो साक्ष्य मे ग्राह्य है और ऋन ही पढने योग्य है। असल दस्तावेजात प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक है। असल दस्तावेजात के अभाव में वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य विशेष विवरण में अभिलिखित है। वादपत्र थे पैरा संख्या 9 में प्रतिवादी संख्या 3 को प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया एवं उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। वहीं पैरा 8 में राजस्व. रिकॉर्ड में इन्द्राज वुरुस्त किए। जाने की इस्तदुआ. की है जो कि

एक दूसरे के विपरीत होने से दावा खारीज किए जाने योग्य हैं। वादपत्र का पेरा 10 कानूनी हैं जवाब का मोहताज नहीं है। यह कि वादपत्र अपर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश किया गया है। इस कारण दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किए जाने योग्य है। वादपत्र मियाद बाहर हैं। अतः दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किए जाने योग्य हैं।

विशेष विवरण

वादीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आए हैं। वादीगण ने न्यायालय से वास्वविक तथ्यों को छिपाया है तथा न्यायालय को गुमराह करने का असफल प्रयास किया है। वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ख. नं. 1553, 1554, 1555 व 1556 को पृतैक सम्पत्ति बताया है जो सरासर गलत, मिथ्या एवं सारहीन है। उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीगण या वादीगण के पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है। इस वादग्रस्त भूमि के मिन प्रतिवादीगण अपने पिता स्व, गोपीराम के साथ एकमात्र मालिक थे और गोपीराम की मृत्यु के बाद विधिक रूप से उक्त विवादित आराजी का नामांतरण तस्दीक होकर वैधानिक खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। तब से ही मिन प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज काश्त चलें आ रहें। यहाँ यह लिखना भी प्रासांगिक है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के समय दादाजी पांचूराम


जजलुड अधिकारी
चाकरू 10 (Page)

जीवित थे। अतः वादीगण का यह कहना नितांत गलत हैं कि वे हररम के पिता के साथ आधे-आधे हिस्से पर कब्जा काशत करते थे एवं वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 2 1/5-1/5 हिस्से पर काबिज -काशत हैं तथा मौखिक बंटवारा कर अपने-अपने 1/5-1/5 हिस्से पर काबिज काशत है। बाकि वास्तविकता यह है कि मिन प्रतिवादीगण उनके पिता स्व. गोपीराम के जिवित रहते हुए उनके साथ वादग्रस्त भूमि के मालिक एवं ऑन कब्जा काशत चले आ रहे है। तब से आज तक उक्त वादग्रस्त भूमि पर केवल मिन प्रतिवादीगण ही मालिकाना हक है एवं कब्जा काशत हैं। वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के एक इन्च पर भी न तो कब्जा हैं और ना ही काशत हैं। वादीगण द्वारा दिनांक 20.05.14 को उक्त वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं निर्माण करवाने का असफल प्रयास किया जिसकी शिकायत मिन प्रतिवादी कालूराम द्वारा थाना शिवदासपुरा में दर्ज करवाई और थाना शिवदासपुरा वादीगण को गिरफ्तार कर थाने ले गई जो बाद में जमानत पर रिहा हुए हैं।


वादीगण का यह कहना नितांत गलत है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता स्व. गोपी कर्ता खानदान थे बल्कि वास्तविकता यह है कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के दादा पांचूराम के जीवित रहते हुए ही गोपी का स्वर्गवास हो गया था इसलिए परिवार के बड़े व्यक्ति पांचूराम के जीवित रहते गोपी का कर्ता खानदान होने की बात स्वतः ही झूठ साबित हो जाती है। यहाँ यह लिखना भी


उपसंहार अधिकारी
चाकरपुरा (जबलपुर)
11 | Page

प्रासांगिक है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता गोपीराम का जल्द देहान्त हो जाने के कारण वादीगण ने बहुत सी पैतृक संपत्तियों को बाला-बाला खुर्द-बुर्द कर उस रकम से स्वर के नाम से एवं स्वयं के परिवार के सदस्यों के नाम से संपत्ति एकत्रित कर मिन प्रतिवादीगण को उनके हिस्से से महरूम कर दिया एवं मिन प्रतिवादीगण का हिस्सा हडप कर लिया और उससे भी वादीगण की नीयत नही भरी तो मिन प्रतिवादीगण के स्व. पिता की स्वयं की अर्जित भूमि को भी हडप करने की गर्ज से एवं मिन प्रतिवादीगण पर नाजायज दवाब बनाने एवं हैरान परेशान करने की गर्ज से यह सरासर झूठा गलत आधार पर दावा पेश किया जो प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। यहाँ यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रतिवादी के पिता स्व. गोपीराम कोई कर्ता खानदान न ही थें। गोपीराम को तो वादीगण ने अलग-थलग कर रखा था। गोपीराम एवं वादीगण साथ-साथ न तो रहते थे न ही वादीगण अपनी आय को गोपीराम को देते थे। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सरकारी नौकरी में थे और अपनी वेतन का स्वयं के पास ही रखकर स्वयं पर एवं स्वयं के पत्नि-बच्चों पर खर्च करते थे। अब जब संयुक्त परिवार ही नही था तब संयुक्त परिवार की आय होने एवं उस आय को गोपीराम के पास रखना एवं गोपीराम द्वारा खर्च करना कपोल कल्पित मात्र है। इसका वास्तविकता से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं हैं। इसलिए वादीगण का यह कहना स्वतः ही सरासर झूठ साबित हो जाता है कि विवादग्रस्त संपत्ति संयुक्त

उपसंहार अधिकारी
12 | Page
चाकसू (जयपुर)


परिवार की आय का हिस्सा है। बल्कि वास्तविकता यह है कि विवादग्रस्त भूमि पूर्णरूपेण गोपीराम की एकमात्र स्वयं की संपत्ति थी और उनके जीवित रहते हुए ही उनके साथ मिन प्रतिवादीगण एकमात्र मालिक थे और गोपीराम की मृत्यु के बाद विधिक रूप से उक्त विवादित आराजी का नामांतरण तस्दीक होकर वैधानिक खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। तब से ही मिन प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज काश्त चलें आ रहें। यहा यह लिखना भी प्रासांगिक है कि मिन प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के समय दादाजी पांचूराम जीवित थे। वादीगण ने प्रस्तुत वाद हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात को हडप करने की बदनीयति से पूर्णतः असत्य एवं मनगढंत कथन अभिलिखित किये है इसलिए प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण का यह कहना नितांत गलत हैं कि मिन प्रतिवादीगण के पिता स्व. गोपीराम कर्ता खानदान थे। वादीगण मिन प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/5 – 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हो और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे हो बल्कि वास्तविकता है कि विवादग्रस्त भूमि पर इंच-इंच में प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं एवं प्रतिवादीगण लगातार विवादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच भाग को अकेले उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है और वादीगण विवादित भूमि के एक इंच भूमि पर न तो काबिज है न ही काश्त कर रहें न ही किसी भी


उपस्थित अधिकारी
चाकरसू (नयापुर)
13 Page

प्रकार से उपभोग उपयोग कर रहे हैं। वादीगण का यह कहना नितांत गलत है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का मनवट के आधार पर तकासमा कर रखा हो एवं उसी अनुरूप उस पर काबिज हो बल्कि वास्तविकता यह कि जब वादीगण का उक्त विवादित भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है तो मनबट करने एवं काबिज का तो प्रश्न-ही नहीं उठता है। वादीगण वास्तविकता को छिपाकर न्यायालय को मुगालते में रखकर प्रतिवादीगण की उक्त विवादित जमीन को हड़प करना चाहते हैं। जब वादीगण विवादित भूमि पर काबिज ही नहीं है तो तारबंदी करना व मकान बनाना अपने आप में कपोल कल्पित मात्र है। वास्तव में उक्त विवादित जमीन पर तारबंदी एवं मकानात मिन प्रतिवादीगण स्वयं के है इनसे वादीगण को कोई लेना देना नहीं है। वादीगण का यह कहना नितांत गलत है कि वादीगण विवादित भूमि के 1/5 - 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हो एवं इस विवादित भूमि पर सभी भाईयों का हक हिस्सा हो बल्कि वास्तविकता यह कि विवादित भूमि के गोपीराम अकेले मालिक थे और उनके जीवित रहते हुए मिन प्रतिवादीगण स्व. गोपीराम के साथ काबिज काश्त थे और गोपीराम की मृत्यु के बाद विधिक रूप से उक्त विवादित आराजी का नामांतरण तस्दीक होकर वैधानिक खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। तब से ही मिन प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज काश्त चले आ रहें। वादीगण का कहना भी नितांत गलत है कि प्रतिवादीगण ने 22/7/97 को

उपस्थित अधिकारी
चाकसू (धबड़)

वादीगण के हक किसी भी प्रकार की कोई लिखावट लिखी हो मिन प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई तथाकथित लिखावट कभी नहीं लिखी और न ही ऐसी किसी भी प्रकार की तथाकथित लिखावट पर मिन प्रतिवादीगण ने अगूँठा निशानी अथवा हस्ताक्षर किये और न ही वादीगण उक्त 22/7/97 की कोई तथाकथित लिखावट पत्रावली में पेश की है और यदि तथाकथित कोई लिखावट वादीगण के पास है तो वह वादीगण द्वारा कूटरचित एवं फर्जी है और यही कारण हैं कि वादीगण ने उक्त तथाकथित लिखावट का गवाहों के समक्ष लिखा जाना तो बताया है परन्तु गवाहों के नाम नहीं बताये हैं क्योंकि ऐसी कोई उक्त तथाकथित लिखावट बजूद में है ही नहीं इसलिए न तो वादीगण ने उक्त तथाकथित लिखावट को पत्रावली में पेश किया है और न ही उसके गवाहों के नाम बताये हैं। इसी से वादीगण कि बदनीयती स्वयं सावित होती है और जब वादीगण को वादग्रस्त भूमि संबंध में कोई हक व हिस्सा सृजित ही नहीं होते हैं तो उन्हें बेदखल करने एवं विवादित भूमि के संबंध में अधिकारों की सुरक्षा की बात कपोल कल्पित साबित होती हैं। अतः वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किए जाने योग्य है। यह कि उक्त विवादित भूमि में सभी प्रकार के पूर्ण मालिकाना हक एक मात्र मिन प्रतिवादीगण में निहित हैं इस लिए विवादग्रस्त भूमि का, रहन-विकय करने एवं सभी प्रकार से उपयोग-उपभोग करने के अधिकार प्राप्त हैं फिर भी मिन प्रतिवादीगण का न तो उक्त विवादित- भूमि को बेचने का इरादा था न ही किसी को बेचने की बातचीत की थी।


उपस्थित अधिकारी
चाकण (पत्रावली)
15 | Page

दिनांक 6/6/14 को वादग्रस्त भूमि पर भूमाफिया लोगों के आने की बात तथा वादग्रस्त भूमि को कय करने की बात एवं वाकगण को धमकी देने एवं जबरन कब्जा करने की बात कपोल कल्पित मात्र है बल्कि वास्तविकता यह है कि वादीगण ने स्वयं ही भूमाफिया एवं असामाजित तत्वों के साथ मिलकर दिनांक 20.5.14 को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने एवं निर्माण कार्य करने का असफल प्रयास किया तब मिन प्रतिवादी कालूराम ने शिवदासपुरा थाना में वादीगण के खिलाफ शिकायत की जिसके फलस्वरूप शिवदासपुरा थाना द्वारा वादीगण को गिरफ्तार किया गया। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध न तो 6/6/14 को न ही अन्य किसी दिनांक को वादकारण उत्पन्न हुआ है इसलिए वाद कारण के अभाव में वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। यह कि वादीगण का यह कहना नितांत गलत है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व मिन प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की आय का हिस्सा जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/5 – 1/5 हिस्सा है बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि वादग्रस्त आराजी मिन प्रतिवादीगण के पिता स्व. गोपीराम की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति है जिसके वे एक मात्र अकेले मालिक थे और उनके जीवित रहते हुए मिन प्रतिवादीगण स्व. गोपीराम के साथ काबिज काश्त थे और गोपीराम की मृत्यु के बाद विधिक रूप से उक्त विवादित आराजी का नामांतरण तस्दीक होकर वैधानिक खातेदारी मिन प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है। तब से ही मिन प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त

जयपुर अदालत
शिवदासपुरा

भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज. काश्त चलें आ रहें । वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है और न ही वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा है और न ही वादग्रस्त भूमि के एक इंच पर भी कब्जा है और न ही काश्त है। वादीगण यह भी कहना नितांत गलत है कि दिनांक 22/06/96 की तथाकथित पारिवारिक लिखावट मिन प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में लिखी हो बल्कि ऐसी उक्त तथाकथित लिखावट न तो मिन प्रतिवादीगण द्वारा कभी लिखी गई न ही वजूद में है, न ही ऐसी भी किसी भी तारीख व किसी भी दिनांक को मिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखावट लिखी गई, न ही ऐसी किसी तथाकथित "लिखावट पर मिन प्रतिवादीगण की अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर हैं। यदि ऐसी तथाकथित लिखावट वादीगण द्वारा पत्रावली में पेश गई है तो ऐसी तथाकथित लिखावट फर्जी व कूट रचित है जिससे प्रतिवादीगण कतई पाबंद नहीं है। वादीगण ने पत्रावली में तथाकथित लिखावट की फोटो प्रति पेश— की है जो अपंजीकृत है जिसका आज्ञात्मकरूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश किये गये फोटो प्रति दस्तावेज न तो साक्ष्य मे ग्राह्य है और न ही पढने योग्य है। असल दस्तावेजात प्रस्तुत किया जाना कानूनन आवश्यक है। असल दस्तावेजात के अभाव में वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है एवं वादीगण उक्त तथाकथित लिखावट के आधार पर ही दावा लेकर आए हैं। जब ऐसी तथाकथित लिखावट ही रिकॉर्ड पर लेने लायक नहीं है और न ही



पठनीय है तो ऐसी सूरत में वादीगण दावा का प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। इसलिए वादीगण को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार इन्द्राज करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड वुरुस्त करवाने एवं मिन प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण न. 3 को प्रफोर्मा पक्षकार बनाकर उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है और दूसरी तरफ प्रतिवादी न0 3 से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम 1/5 - 1/5 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज करवाने एवं राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने की इस्तदुआ की है जो विरोधाभासी होने से वादीगण दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण ने उक्त वादपत्र अपर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश किया है चूकी जदीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है अतः वादीगण द्वारा पेश की गई कोर्ट फीस अपर्याप्त है एवं अपर्याप्त कोर्ट फीस के कारण वादीगण दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण का दावा मियाद बाहर है। दावा मियाद बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है एवं वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है नो इंजेक्शन विदाउट पजेशन के सिद्धान्त के अनुसार भी वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय से चाही गई य रिलीफ के कतई अधिकारी नहीं



उपसम्पन्न अधिकारी
18 | Page
वाकसू (जि.सू.)

हैं। वादीगण का वादग्रस्त आराजी से न तो कोई लेना-देना है, न ही हक व हिस्सा हैं, न ही कब्जा काश्त हैं। इसलिए वादीगण न्यायालय से किसी भी प्रकार भी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं हैं और न ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करवाने के अधिकारी है और न ही मिन प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है, न ही वादग्रस्त भूमिगत का तकासमा करवाने अधिकारी हैं। लिहाजा मिन प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वादपत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण मय विशेष हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वादीगण से मिन प्रतिवादीगण को दिलवाया जावें।

दावे का जवाब दावा प्रतिवादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा व जवाब दावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी :-

1. आया वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर पैतृक सम्पत्ति होने के कारण संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है ?

—वादीगण—

2. आया वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से कर्ता की हैसियत से स्व० गोपी ने वादग्रस्त आराजी कय की, जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा है ?


उपस्थित अधिकारी
आरक्षक (निवृत्त)

—वादीगण—

3. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है ?

—वादीगण—

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाया था ?

—वादीगण—

5. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 व 2 की संयुक्त पैतृक भूमि है अथवा संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई भूमि है ?

—वादीगण—

6. आया दावा वादी अन्दर मियाद पेश है ?

—वादीगण—

7. आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ तथा वाद कारण के अभाव में बादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है?

—प्रतिवादी—

20
उपसुब्ब अधिकारी
चाकडू (मिनापुर)

8. आया तथाकथित इकारारनामा 22.06.1996 पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के स्वयं के हस्ताक्षर है जिनसे वे पाबंद है ?

—वादीगण—


9. आया तथा कथित इकरारनामा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पेड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्यय नहीं है ? ऐसे इकरारनामों से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है ?

—प्रतिवादीगण—

तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण की ली गयी तो वादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य वादी स्वयं रामनाथ, व मोहनलाल, रामधन, कालूराम के साक्ष्य करवाये जाकर आगे शहादत नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी करवाये गये तो साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 2 कालूराम स्वयं मोहन के शहादत करवायी गयी, आगे शहादत नहीं कराने पर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर दावा वादी बहस हेतु नियत किया जाकर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दौराने बहस दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम शिवदासपुरा में स्थित है जो वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसको वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जो वादीगण के भाई थे शामिल में ही 1/5,


उपाबन्ध अधिकारी
जयपुर (जयपुर)
21 | Page

1/5 हिस्से पर काश्त करते थे शामिल में ही 1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है व इसी अनुरूप मौखिक बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर 1/5, 1/5 पर काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं गोपी सगे भाई थे परिवार में बडा भाई होने के कारण गोपी कर्ता खानदान था जो परिवार के सम्पूर्ण कार्य उनके द्वारा ही किये जाते थे। वादग्रस्त आराजी भी संयुक्त परिवार की आय का हिस्सा है क्योंकि वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण खर्चा संयुक्त परिवार की आय से किया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि पर सभी भाईयों का हक व हिस्सा है, परिवार में जब बंटवारा हुआ तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक लिखावट दिनांक 22.07.1997 को वादीगण के हक में लिखी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने यह कथन किया कि सभी भाईयों का उक्त भूमि पर बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्से पर कब्जा है। चारो काका वादीगण चाहेगें तो हम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि के नाम लगवा देंगे तथा उक्त भूमि को पांच हिस्से करेंगें। उक्त पारिवारिक सहमति इकरारनामा लिखावट वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समक्ष गवाहों की मौजूदगी में लिखी गयी थी। जो एस्टोपल का सिद्धान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर लागू है जवाब दावे के मद नम्बर 3 व विशेष कथन में कब्जा स्वीकार किया व बराबर बराबर हिस्सा 1/5, 1/5 माना है। पारिवारिक समझौता पत्र को फर्जी होने बाबत एफआईआर करवायी जो मुकदमा नम्बर 108/16 जिसमें एफआर लगी है। गवाहो ने वादीगण का कब्जा व फैमेली सैटलमेंट को सही


उद्योग अधिकारी
चाकर (जयपुर)

माना है व सबका बराबर बराबर हिस्सा माना है। सबके वादग्रस्त भूमि में मकानात बने हुये है। एवं तार बाउन्ड्री खींची हुई है। इस प्रकार दावा वादी पूर्णरूप से साबित होने से डिक्री फरमाया जावे।
आरआरटी 2009(1) भंवर सिंह बनाम चन्द्रा

जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने वादी वकील की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को दिनांक 22.06.18 को अलॉटमेंट हुई थी। वादीगण द्वारा कब्जे की बाबत को खसरा गिरदावरी वगैरहा दस्तावेज पेश नहीं किये गये। न ही वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण के मकान वादग्रस्त भूमि में नहीं बने हुये है अगर मकान होते तो उसका अंकन जमाबंदी में होता लिखावट के आधार पर न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नहीं है सिविल न्यायालय में जावे। फेमिली सेटलमेंट फर्जी है इस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं, वादी ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है, जो खारिज फरमाया जावे। आरआरडी 1998 पेज 22 कमल शंकर बनाम रतनलाल की नजीर पेश की वादी व प्रतिवादी ने दावे के समर्थन में एक्सपी-1 इकरार नामा दिनांक 22.06.1996, एक्सपी-2 फोटो मौके की, एक्सपी-3 बिजली का बिल, एक्सपी-4 मुकदमा नम्बर 86/16 की फोटो प्रति प्रमाणित पंचायत प्रमाण पत्र,


उपखंड अधिकारी
चाकर (जि.पुर)

तबौर दस्तावेज वादी ने पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा एक्स डी -1 मिलान क्षेत्रफल, एक्स डी -2 ग्राम शिवदासपुरा की जमाबंदी संवत 2051-70, एक्स डी 3 जमाबंदी संवत 2032-35, एक्स डी 4 जमाबंदी संवत 2036-39 एक्स डी 5 नामान्तकरण संख्या 90, एक्स डी 6 पट्टा गेर खातेदारी, गोपी पुत्र पांचू के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वादीगण व प्रतिवादी वकील की बहस पर गोर किया व दावा जवाब दावा, गवाहों के बयानात एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से परीक्षण किया गया तो तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया गया।

तनकी नम्बर 1 :- आया वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आरणी पर पैतृक सम्पत्ति होने के कारण संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत है इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो कि वादग्रस्त आरणी कित्ता 4 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम शिवदासपुरा में स्थित है वादीग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भाई थे जो शामिल में काशत करते थे गोपी की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2, 1/5 हिस्से पर काबिज काशत है, इसी अनुरूप मौखिक बंटवार कर अपने अपने हिस्से 1/5, 1/5 पर काबिज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। वर्तमान में उक्त भूमि भौरीलाल कालू पिता गोपी के नाम है पहिले उक्त

उपखण्ड अधिकारी
24 | Page (बन्यपुर)

भूमि गोपीराम के नाम थी। गोपी ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया है जिसकी लिखावट लिखी हुयी है, बंटवारा नामा 22.06.1996 को लिखा गया जो भूतपूर्व सरपंच मोहनलाल ने लिखा था। स्टाम्प के फर्जी होने बाबत पुलिस आना शिवदासपुरा में एफआईआर दर्ज करवायी गयी जिसकी एसएचओ थाना शिवदासपुरा के द्वारा जांच करने पर जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि मुस्तकिल श्री भौरीलाल, कालूराम मीणा के पिताजी श्री गोपीराम मीणा सहित पांच भाई गंगाराम, भगवान सहाय, रामनाथ, छोटूराम पुत्रान पांचूराम मीणा थे, जिनकी आराजी भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555, 1556 किता 4 रकबा 1.25 हे0 सभी पांचो भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज है उक्त खसरो का जमीन संयुक्त परिवार रहते पांचूराम मीणा ने अपने बडे पुत्र गोपीराम मीणा के नाम करवा दी थी। उक्त खसरो की जमीन का बंटवारा होने पर सन् 1965, 68 तक केस चला था उक्त केस की पेरवी बडा भाई गोपीराम मीणा द्वारा करने के कारण की पांचूराम ने बडे भाई के नाम करवा दी उसके बाद पांचो भाई गोपीराम गंगाराम भगवान सहाय रामनाथ छोटूराम मीणा को बराबर उक्त जमीन में हिस्सा बांट दिया तथा इस संबध में जरिये इकरारनामा दिनांक 22.06.1996 को गोपीराम के पुत्रों भौरीलाल कालूराम दो गवाह के समक्ष लिख कर दिया कि उक्त बंटवारे की जमीन अपने अपने हिस्से को जब भी नाम करवाये या रजिस्ट्री करवायेंगे तो दोनो भाई जाकर करवायें, इसमें किसी प्रकार की आना कानी नही करेंगे। इकरारनामों पर स्वयं


उपसुब्ब अधिकारी
चाकण (जयपुर)
Page

भौरीलाल के हस्ताक्षर है भंवरलाल के रूप में भौरीलाल मीणा पांचवी तक पढा लिखा है, ग्राम पंचायत शिवदासपुरा में बीपीएल फार्म पर स्वयं के भंवर के नाम से हस्ताक्षर है। इसी तरह पांचूराम मीणा पुत्र नानगराम मीणा के नाम जमीन को पांच हिस्सो में बराबर के रहेंगे का गवाहो के समक्ष दिनांक 22.06.1996 को जरिये इकरारनामा लिख कर दिया जिसमें चारो भाईयों के हस्ताक्षर है, दो गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555, 1556 की कृषि भूमि को 1996 में ही पांच हिस्सो में बराबर बराबर बांटकर अपने अपने हिस्सो में काबिज है अपने अपने हिस्सो को अपने हिसाब से मकान बाडा, बाउन्डीवाल इत्यादि करवाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। इस प्रकार पुलिस तफतीश में उक्त लिखावट को सही माना व लिखावट अनुसार सभी अपने-2 हिस्सो पर काबिज काशत है व उक्त एफआईआर को गलत मानते हुये एफआर लगायी गयी, इस प्रकार गवाह वादी रामधन ने जिरह में वादग्रस्त भूमि को पांचो भाईयों ने काशत करना व लिखावट लिखा जाना स्वीकार किया है। वादी के गवाह मोहनलाल ने लिखावट लिखना व लिखावट सही होना व पांचो का बराबर बराबर कब्जा व पैतृक भूमि होना गवाही में जाहिर की। प्रतिवादी गवाह कालूराम ने लिखावट खुद के सामने लिखना स्वीकार किया व लिखावट लिखे बीस साल होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि को चारो काशत करना स्वीकार किया है। कालूराम पुत्र गोपी गवाह प्रतिवादी ने जमीन का बंटवारा होना स्वीकार किया है। जवाब दावा के ए से बी पर जो तथ्य अंकित है

उपखण्ड अधिकारी
जायपुर (जायपुर)

26 Page

वो टाईप करवाया है जो सही है एक्स पी 3 बिजली बिल पर रामनाथ लिखा हुआ है। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उसे सही होना स्वीकार किया है। गोपीराम को पांचूराम का बड़ा लडका होना स्वीकार किया है, व प्रतिवादी गवाह मोहनलाल ने भी पांचूराम के पांच लडके व बड़ा लडका गोपीराम होना स्वीकार किया हैं। जवाब दावा पिताजी ने पेश करना व जवाब दावा के विशेष विवरण में भंवरलाल के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया जो जवाब दावे में ए टू बी भाग भोरीलाल जी का लिखना स्वीकार किया। एक्सपी 3 रामनाथ पुत्र पांचू मीणा के नाम से बिजली का बिल होना स्वीकार किया। पुश्तैनी मकान हमारे पिताजी ओर पांचो भाईयों का है जो आबादी में बना हुआ है। पुश्तैनी मकान में गंगाराम, भगवानसहाय, पांचूराम, जगदीश पुत्र पांचू व भोरीलाल व कालू पुत्र गोपी रहते है जो अपने अपने हिस्से में रहते है। लिखावट कैंसिल कराने का दावा नहीं किया ये भी स्वीकार किया। सरपंच ग्रम पंचायत शिवदासपुरा के प्रमाण पत्र के द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर 1/5 – 1/5 हिस्सा एवं कब्जा काश्त माना है व रामनाथ के द्वारा वादग्रस्त भूमि में वर्षो पुराना पुख्ता मकान बना हुआ माना है। एवं ग्राम शिवदासपुरा की जमाबंदी संवत 2072-75 में विरासत में 1/5 हिस्सा होना दर्ज है। इस प्रकार लिखावट 22.06.1996 को पुलिस जांच में सही माना व गवाह मोहनलाल रामधन कालू व रामनाथ के द्वारा लिखावट लिखा जाना व सही होना अपने अपने बयानों में स्वीकार किये जाने व सरपंच ग्रम पंचायत शिवदासपुरा के द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पांचूराम


उपपंड अधिकारी
(जयपुर)
27/ Page

के पांचों पुत्रों का बराबर बराबर हिस्सा होना स्वीकार किया। व जवाब दावे के ए टू बी भाग वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 1/5 - 1/5 हिस्से पर काबिज काशत है ये होना स्वीकार किये जाने से एवं अन्य पांचूराम द्वारा छोड़ी गयी अन्य भूमियों की वादी व प्रतिवादी की संयुक्त रूप से जमाबंदी में बराबर बराबर हिस्सा दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि ये संयुक्त रूप से काशत करते आ रहे हैं व कब्जा काशत है इस प्रकार तनकी नम्बर एक भली प्रकार से वादीगण द्वारा साबित करने से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :- आया वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से कर्ता हैसियत से स्व० गोपी ने वादग्रस्त आराजी कय की जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा है :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो वादीगण ने दावे के पैरा नम्बर 4 में अंकित किया है कि सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व० गोपी सगे भाई थे परिवार में बड़ा भाई होने के नाते गोपी कर्ता खानदान था जिस कारण परिवार में कर्ता खानदान गोपी था और कर्ता खानदान होने की वजह से परिवार की और से सम्पूर्ण कार्य उनके द्वारा ही किये जाते थे। परिवार में कर्ता खानदान होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य उस पर विश्वास करते थे संयुक्त परिवार में रहने के कारण परिवार का मुखिया होने के नाते संयुक्त परिवार से होने वाली आय गोपी के पास रहती थी, गोपी ही कर्ता खानदान होने के


उपनिर्देश अधिकारी
चाकणूर (जयपुर)

कारण संयुक्त परिवार की आय को संयुक्त परिवार की हैसियत से खर्च करते थे ओर वादग्रस्त आराजी भी संयुक्त परिवार का हिस्सा है। इस बाबत पुलिस जांच में गोपीराम सहित पांचो भाई गंगाराम भगवान सहाय रामनाथ, छोटूराम पुत्र पुत्रान पांचूराम मीणा थे, जिनकी आराजी परिवार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555, 1556 किता 4 रकबा 1.20 हे0 है जो पांचों भाईयों में बराबर बराबर बंटी हुई है ओर पांचो भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज है उक्त खसरो का जमीन को संयुक्त परिवार रहते पांचूराम मीणा ने अपने बड़े पुत्र श्री गोपीराम मीणा के नाम करवा दी, उक्त जमीन पर 1965, 1968 तक केस चला था उक्त केस पेरवी बडा भाई गोपीराम के द्वारा करने के कारण भी पांचूराम ने बड़े भाई के नाम करवा दी, उसके बाद पांचो भाई गोपीराम, गंगाराम, भगवान सहाय रामनाथ व छोटूराम मीणा को बराबर जमीन में से हिस्सा बांट दिया, इस संबंध में गोपीराम के स्वर्गवास होने पर जरिये इकरार नामा 22.06.1996 को गोपीराम के पुत्रों भौरीलाल व कालूराम द्वारा दो गवाहों के समक्ष लिख कर दिया कि उक्त बंटवारें की जमीन अपने अपने हिस्सें को जब भी नाम करवायें या रजिस्ट्री करवायेंगे दोनो भाई जाकर करवायेंगे, इसमें किसी प्रकार की आना कानी नही होगी उक्त लिखावट पर भौरीलाल के हस्ताक्षर भंवरलाल के रूप में है जो भौरीलाल पढा लिखा है। उक्त लिखावट पर भौरीलाल ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर नही होने बाबत इन्कार नही किया एवं लिखावट पर दो गवाह मोहनलाल ने भी स्टाम्प पर


उपखंड अधिकारी
मोहनपुर

दोनो भाइयों के स्टाम्प पर हस्ताक्षर होना व पांचों भाइयों का कब्जा 1/5, 1/5 हिस्से पर होने पर हस्ताक्षर होना व पांचों भाइयों का कब्जा 1/5-1/5 हिस्से पर दोनो बयानों में जाहिर किया है। उक्त पुलिस जांच रिपोर्ट को प्रतिवादी गवाह मोहनलाल द्वारा सही होना बताया गया है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त आय से अर्जित होने पर पांचूराम ने अपने बड़े बेटे गोपीराम के नाम करवायी जिस पर संयुक्त रूप से पांचों भाई बाट कर अपने - अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है। जिसकी पुष्टि में प्रतिवादीगण द्वारा मकानात बदलकर रह रहे हैं जो एक्स पी 2 फोटोग्राफ से होती, फोटो ग्राफ प्रति के लिये प्रतिवादी ने गवाह मनाई नहीं की है प्रतिवादी गवाह मोहनलाल ने रामनाथ के पुत्र को ट्रक चलाना बताया है जो ट्रक मकान में खडा है उसकी पुष्टि भी फोटो से होती। एक्स पी 3 प्रतिवादी के गवाह ने बिजली का बिल रामनाथ का होना स्वीकार किया है। इस प्रकार जवाब दावे में प्रतिवादी नें ए टू बी भाग में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि पर 1/5, 1/5 पर काबिज काश्त है व मौखिक बंटवारा कर रखा है। जिसमें वादग्रस्त संयुक्त परिवार की भली भांति साबित होने से तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :- आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष में

साबित होने से तनकी नम्बर 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :- आया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर वादग्रस्त भूमि आराजी का राजस्व रिकार्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाया था :- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर जो कि उक्त वाद ग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त आय का हिस्सा थी जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गोपीराम पुत्र पांचू ने गोपीराम कर्ता खानदान होने से पांचूराम ने बडे पुत्र होने के नाते गोपीराम के नाम लगवा दी थी जो गोपी के स्वर्गवास के बाद संयुक्त आय से अर्जित वादग्रस्त भूमि गोपीराम के वारिसान के नाम लग गयी जबकि उक्त भूमि पांचूराम ने अपनी जीवनकाल में ही पांचो पुत्रों को बराबर बराबर 1/5 में संयुक्त रूप से बांट दी जिसकी ताईद में गोपीराम के वारिस भौरीलाल व कालूराम एक इकरारनामा 22/7/1996 को लिख कर दिया उसका निर्णय तनकी नम्बर 1 व 2 में विस्तृत रूप से विवेचन किये जाने वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पत्ति मानी गई है एवं स्वयं प्रतिवादी द्वारा दावे के जवाब दावे के विशेष कथन में ए टू बी भाग में वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त तथा मौखिक बंटवारा कर अपने हिस्से पर काबिज काश्त होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की आय का हिस्सा होने व वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर


उपबन्ध अधिकारी
(जयपुर)
31 | Page

1/5 , 1/5 हिस्सा पर काबिज होना भली प्रकार से साबित होने से तनकी नम्बर 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 :- आया वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त पेटुक भूमि है अथवा संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई है:- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है जो तनकी संख्या 1 से 4 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है तनकी नम्बर 1 स 4 में वादग्रस्त भूमि के संबंध में विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर तनकी संख्या 1 से 4 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने से तनकी नम्बर 5 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 6 :- आया दावा वादी अन्दर मियाद पेश है :- इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है जो घोषणा का दावा पेश किये जाने की कोई समय सीमा नहीं है। घोषणा का दावा कभी भी पेश किया जा सकता है इस प्रकार घोषणा दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है। इस प्रकार तनकी नम्बर 6 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 7 :- आया वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ तथा वादकारण के अभाव में वादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिससे ये साबित होता हो कि वादीगण को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है जबकि वादीगण ने दावे के पैरा संख्या 7 में स्पष्ट


उपकाण्ड अधिकारी
गान्धु (जयपुर)

अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत में खोट आ जाने के कारण वे वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है और भू माफिया लोग दिनांक 06.06.14 के वादग्रस्त आराजी पर आये और वादग्रस्त आराजी क्रय करने की बात की व वादीगण को धमकी दी कि वे जबरन वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करेंगे। जब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.06.2014 को वादग्रस्त भूमि बेचान करने हेतु भूमाफियो को दिखाने आये व वादीगण को जमीन बेचने व जबरन कब्जा करने की धमकी दी तब वादीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ । इस प्रकार वादीगण को धमकी देने व दिनांक 06.06.2014 को जमीन बेचने के ईरादे से दिखाने हेतु आने पर वादीगण को वादकारण उत्पन्न होना भली प्रकार से साबित होने से तनकी संख्या 7 वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के तय की जाती है।

तनकी नम्बर 8 :- आया तथा कथित इकरारनामा 22.06.1996 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है जिनसे ये पाबन्द है इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो एक्स पी 1 पर भंवरलाल व कालूराम के हस्ताक्षर है जो एक्स पी 1 पर हस्ताक्षर नहीं होने बाबत भंवरलाल व कालूराम ने पुलिस थाने शिवदासपुरा में एफआई आर दर्ज करवायी गयी जो एक्सपी 4 है, उक्त एफआई आर की जांच रिपोर्ट अनुसार पुलिस जांच में इकरारनामा पर स्वयं भौरीलाल के हस्ताक्षर भंवरलाल के रूप में है। भौरीलाल कक्षा पांचवी तक पढा लिखा है इस बाबत प्रधानाचार्य शिवदासपुरा द्वारा व दस्तावेज है। इसका दस्तावेज ग्राम पंचायत शिवदासपुरा में बीपी


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर
33 | Page

^L 2 फार्म पर स्वयं भंवर के नाम के हस्ताक्षर है, इस प्रकार भौरीलाल पढा लिखा है। उक्त जांच रिपोर्ट को गवाह प्रतिवादी ने सही माना इस प्रकार पुलिस जांच में इकरारनामें पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर होना सही माना गया है स्वयं गवाह वादी मोहनलाल रामधन व कालूराम ने भी इकरारनामें पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर इकरारनामें पर होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में पुलिस की जांच रिपोर्ट जो भौरीलाल द्वारा दर्ज करवायी एफआई आर एक्सपी 4 में भौरीलाल के हस्ताक्षर सही मानते हुये कोर्ट द्वारा एफआईआर लगा देना आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में चेलेंज नहीं किया न ही इकरारनामा केंसिल कराने बाबत किसी भी न्यायालय में केस नहीं करना से भली भांति साबित है कि इकरारनामें पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है इस प्रकार तनकी नम्बर 8 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 9 :- आया तथा कथित इकरारनामा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ऐसे इकरारनामें में वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है :- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 3 व 8 का प्र0 सपठित धारा 35, 37, 39 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत पेश किया गया था कि इकरारनामा लिखावट 22.06.1996 के आधार पर घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। उक्त इकरारनामा लिखावट में वादग्रस्त भूमि मे से बराबर बराबर हिस्सा होना तथा


उपसुब्ड अधिकारी
जायपुर (जयपुर)
34 | Page

कब्जे का हस्तान्तरण वादीगण को किया है। उक्त इकरारनामा न तो सत्यापित किया गया है और न ही रजिस्टर्ड है न ही पर्याप्त स्टाम्पित है। जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होने से लौटाया जाना कानूनन आवश्यक है व डाले गये प्रदर्श को डिलीट फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.12.2017 को निर्णय किया गया कि उक्त इकरारनामा 22.06.1996 के आधार पर किसी प्रकार से कोई कब्जे का हस्तान्तरण नहीं किया गया है। उक्त इकरारनामों में वादीगण का बराबर बराबर हिस्सा होना वर्णित है भूमि पर कब्जा होना अंकित है। उक्त इकरारनामों से कब्जे का हस्तान्तरण नहीं किया गया। इकरारनामों के आधार पर किसी प्रकार का प्रतिफल का लेन देन नहीं हुआ ना ही प्रतिफल के आधार पर भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण हुआ है। उक्त इकरारनामा बेचान का दस्तावेज न होकर पारिवारिक सहमति इकरारनामा का दस्तावेज है जिसके वादीगण का हक व हिस्सा अंकित किया गया है। जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा अंकित किया गया है। उक्त इकरारनामा एक पारिवारिक समझौता पत्र की श्रेणी में आता है जो सहमति पत्र है जो उक्त इकरारनामा पारिवारिक समझौता पत्र साक्ष्य में ग्राही दस्तावेज है। इस प्रकार इस बाबत पूर्व में ही उक्त इकरारनामों साक्ष्य में ग्राही मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार तनकी नं० 9 प्रतिवादी के विरुद्ध व वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।


उपरोक्त अधिकारी
चाकस् (जयपुर)

तनकीवाद निर्णय करने पर तनकी नम्बर 1 से 9 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने व एक्स पी1 पारिवारिक समझौता पत्र एक्स पी 2 वादग्रस्त भूमि की मौके की फोटू, एक्स पी 4 पुलिस जांच रिपोर्ट एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्तज भूमि संयुक्त परिवार की आय से अर्जित किये जाने से साबित होने से आरआरटी 2009 (1) पेज नम्बर 369 भंवर सिंह बनाम चन्द्रा की नजीर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 अनरजिस्टर्ड लिखावट के आधार पर वाद पेश किया अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र कब्जा साबित करने हेतु संपाशिवर्क प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सकता है दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से वादीगण का कब्जा 1965 से लगातार है वादीगण द्वारा काश्त करना भी साबित किया 17.07.65 की लिखावट के आधार पर वादीगण का खुला कब्जा प्रतिवादीगण की बहन जी ने एनएच तथा बी के बीच बंटवारा होना स्वीकार किया वादीगण ने प्रतिकूल कब्जा भी साबित किया निर्णित वाद डिक्री होने योग्य है की ^{नजीर} ~~रनजी~~ उक्त वाद पर भली भांति चस्पा होने से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.75 है0 1554 रकबा 0.28 है0 1555 रकबा 0.50 है0 1556 रकबा 0.22 है0 किता 4 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम शिवदासपुरा को वादीगण को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का इस प्रकार प्रत्येक को 1/5,


उपसंख्य अधिकारी
वाकस्
36 | Page

1/5 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरुस्त किया जावे व प्रतिवादीगण 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से के व कब्जे काश्त में शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

82
उपखण्ड अधिकारी, ९
उपखण्ड (वि.पुं.)
चाक चाकसू

